


35

त्रैमासिक निरीक्षण आख्या
मार्च 09.03.2021 / 10.03.2021
द्वारा
प्रभारी अधिकारी श्री रनवीर सिंह
केन्द्रीय निरीक्षण एवं पूछताछ अनुभाग
जनपद न्यायालय, गोण्डा।

प्रमाणित किया जाता है कि निरीक्षण आख्या में दिये गये निर्देशों/त्रुटियों का वास्तविक एवं भौतिक रूप से सम्बन्धित कर्मचारियों द्वारा अनुपालन किया गया एवं भविष्य में अनुपालन किये जाने हेतु नोट किया गया।


(रनवीर सिंह)

प्रभारी अधिकारी/केन्द्रीय निरीक्षण एवं पूछताछ
अनुभाग, जनपद न्यायालय गोंडा।

निरीक्षण आख्या वर्ष 2019 से सम्बन्धित है। यह सुरक्षा पंजिका नियमित रूप से इस अनुभाग के प्रभारी अधिकारी के सम्म अवलोकनार्थ प्रस्तुत की गयी है।

10. प्रभारी अधिकारी केन्द्रीय निरीक्षण एवं पूछताछ अनुभाग द्वारा पारित आदेशों से सम्बन्धित सुरक्षा पंजिका

यह सुरक्षा पंजिका दिनोंक 01.08.2020 से अनुरक्षित है। इस सुरक्षा पंजिका में समस्त कागजात चरपा व सूचीबद्ध है। सुरक्षा पंजिका को नियमित रूप से इस अनुभाग के प्रभारी अधिकारी के सम्म प्रस्तुत किया गया है। इस सुरक्षा पंजिका की अन्तिम प्रतिष्ठि क्रम सं०-7 दिनोंकित 19.02.2021 की है, जो आकस्मिक निरीक्षण के सम्बन्ध में है।

11. उपस्थिति पंजिका

यह पंजिका दिनोंक 01.01.2018 से प्रारम्भ की गयी है, जो सादे कागज पर निर्मित है। इस पंजिका में इस अनुभाग में कार्यरत कर्मचारी द्वारा प्रत्येक दिवस में अपना हस्ताक्षर बनाया गया है तथा कार्यालय आने जाने का समय भी अंकित किया गया है।

12. आकस्मिक अवकाश पंजिका


यह पंजिका दिनोंक 01.01.2005 से सामान्य नियम व्यवहार के नियम 410 के अन्तर्गत अनुरक्षित है। उपस्थित पंजिका दर्ज अवकाश का मिला-न आकस्मिक अवकाश पंजिका की प्रविष्टियों से किया गया है। समस्त प्रविष्टियों सही पायी गयी है। अतः किसी टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है।

13. सामान्य

निरीक्षण के दौरान मैंने पंजिका एवं प्रपत्रों का रख रखाव सही ढंग से पाया गया है। गार्ड फाइल व अ-य कागजात उचित ढंग से अलमारी में रखे पाये गये। इस निरीक्षण आख्या में इंगित निर्देशों के अनुपालनोपरान्त निरीक्षण आख्या की दोनों प्रतियाँ माननीय जनपद न्यायाधीश गोण्डा की सेवा में अवलोकनार्थ प्रेषित की जाये।

निरीक्षण के दौरान निरीक्षण एवं पूछताछ अनुभाग के कार्यालय में साफ-सफाई व प्रकाश तथा कार्यालय में उपलब्ध फर्नीचर की व्यवस्था पर्याप्त पायी गयी।

दिनांक: 09.03.2021, 10.03.2021



(रनवीर सिंह)

प्रभारी अधिकारी/केन्द्रीय निरीक्षण एवं पूछताछ
अनुभाग, जनपद न्यायालय गोण्डा।

8. वार्षिक निरीक्षण की सुरक्षा पत्रिका

यह सुरक्षा पत्रिका दिनांक 20.12.2014 से प्रारम्भ की गई है। इस सुरक्षा पत्रिका में आमुख/शौचक चरपा किया गया है। इस पत्रिका में इस अनुभाग की प्रभारी अधिकारी द्वारा सम्पादित त्रैमासिक निरीक्षण आख्याओं को सम्भार चरपा एवं सूचीबद्ध किया गया है। इस सुरक्षा पत्रिका की अन्तिम प्रविष्टि त्रैमासिक निरीक्षण आख्या बावत त्रैमास दिसम्बर 2020 की है। सुरक्षा पत्रिका का एक रखाव उचित ढंग से किया जा रहा है।

6. स्थानीय आदेश की सुरक्षा पत्रिका

यह सुरक्षा पत्रिका दिनांक 26.03.2019 से प्रारम्भ की गई है। इस सुरक्षा पत्रिका में आमुख/शौचक चरपा किया गया है। इस सुरक्षा पत्रिका में इस अनुभाग द्वारा विभिन्न न्यायालय कार्यालय को भेजे गये प्रपत्रों की प्रतिलिपि एवं माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय भोपाल से कार्यालय से प्राप्त आदेशों को सुरक्षित रखा जाता है। इस सुरक्षा पत्रिका का एक रखाव उचित ढंग से लिया जा रहा है। अन्तिम आदेश क्रम सं० 79 दिनांकित 20.02.2021 की है, जो मासिक बैठक के सम्बन्ध में है। इस सुरक्षा पत्रिका को प्रभारी अधिकारी के सम्म अवलोकनार्थ प्रस्तुत किया गया है।

7. सुरक्षा पत्रिका बावत शासनादेश

यह सुरक्षा पत्रिका दिनांक 01.08.2009 से अनुरक्षित है। इस सुरक्षा पत्रिका में आमुख/शौचक चरपा किया गया है। इस सुरक्षा पत्रिका में द्रव्य किये जाने हेतु किसी प्रकार का कार्य प्रपत्र प्रशासनिक कार्यालय से प्राप्त नहीं हुआ है। पत्रिका का एक रखाव उचित ढंग से किया जा रहा है। इस सुरक्षा पत्रिका की अन्तिम प्रविष्टि दिनांक 01.08.2020 की है, जो सामान्य सूची के सम्बन्धित है। इस सुरक्षा पत्रिका को प्रभारी अधिकारी के सम्म अवलोकनार्थ प्रस्तुत किया गया है। कार्यालय लिपिक को निर्देशित किया जाता है कि शासनादेशों की सुरक्षा पत्रिका नियमित रूप से प्रत्येक माह में अपने प्रभारी अधिकारी के सम्म अवलोकनार्थ प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें।

निरीक्षण करने, निरीक्षण कार्यालय के आदेशों को सुरक्षित रखना, सुरक्षा पत्रिका का एक रखाव उचित ढंग से करना।
K
रक्षायिका

8. सुरक्षा पत्रिका बावत माननीय उच्च न्यायालय

यह सुरक्षा पत्रिका माननीय उच्च न्यायालय से प्राप्त प्रपत्रों को सुरक्षित रखने हेतु अनुरक्षित की गई है। यह सुरक्षा पत्रिका दिनांक 18.01.2000 से प्रारम्भिक की गई है। इस सुरक्षा पत्रिका की अन्तिम प्रविष्टि दिनांक 10.06.2015 की है, जो विभागीय जांचों से सम्बन्धित है, जो माननीय उच्च न्यायालय के अर्द्धशासकीय पत्र सं०-1-621/2015 दिनांकित 06.06.2015 की है। इस सुरक्षा पत्रिका में माननीय उच्च न्यायालय से प्राप्त प्रपत्रों को सूचीबद्ध करते हुए क्रम से चरपा किया गया है। कार्यालय लिपिक को निर्देशित किया जाता है कि इस सुरक्षा पत्रिका को प्रभारी अधिकारी के सम्म अवलोकनार्थ नियमित रूप से प्रत्येक माह में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें।

माननीय निरीक्षण कार्यालय के आदेशों को सुरक्षित रखना, सुरक्षा पत्रिका का एक रखाव उचित ढंग से करना।
K
रक्षायिका

9. सुरक्षा पत्रिका बावत वार्षिक निरीक्षण आख्या

यह सुरक्षा पत्रिका दिनांक 01.12.2014 से अनुरक्षित है, जिसपर लेविल तथा आमुख/शौचक चरपा किया गया है। इस सुरक्षा पत्रिका की अन्तिम प्रविष्टि दिनांक 12.02.2020 की है, जो वार्षिक

निरीक्षण पंजिका के अवलोकन से ज्ञात हुआ है कि अभिलेखागार/न्यायालय एवं कार्यालयों में ताम्बित धारों की संख्या की तुलना से प्रस्तुत निरीक्षण प्रार्थना पत्रों की संख्या में कमी आयी है, जिनसे यह स्पष्ट है कि कोरोना महामारी के कारण एन कुछ न्यायालयों/कार्यालयों/अभिलेखागार में अनियमित निरीक्षण को करवा जा रहा है। तदु सम्बन्धित लिपिक को निर्देशित किया जाता है कि ऐसे न्यायालयों/कार्यालयों को चिन्हित कर उनके पीछासीन अधीनस्थों को वस्तुस्थिति से अवगत करावा जाना सुनिश्चित करें, ताकि निरीक्षण प्रार्थनापत्रों की प्रस्तुतिकरण में व राजस्व आय में नुक़ि हो सके।

निरीक्षण पंजिका के सभी रतन्म पूर्ण रूप से भरे गये है। अतः इत सम्बन्ध में किसी टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है।

2. पूछताछ प्रार्थना पत्रों की पंजिका अध्याय 9 नियम 224 व 225 सामान्य नियम व्यवहार-

यह पंजिका सामान्य नियम व्यवहार के अन्तर्गत निर्धारित प्रारूप पर अनुरक्षित की गई है। पंजिका पर आमुख/शीर्षक लगाया गया है। पंजिका के अवलोकन से विदित होता है कि आज दिनांक 09.03.2021 को पूछताछ के कुल 18 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए हैं। निरीक्षण तिथि को इस पंजिका की अंतिम प्रविष्टि प्रार्थना पत्र सं० 18 दिनांकित 09.03.2021, जो श्री के०के० सिंह एडवोकेट द्वारा प्रस्तुत किया गया, जो न्यायालय सिविल जज(गु०डि०) गण्डा सं० सम्बन्धित है, जो गनेश वनाम लेखरम सिंह से सम्बन्धित है। आज प्राप्त सभी प्रार्थना पत्रों का निस्तारण किया जा चुका है।

3. न्यायशुल्क पंजिका संख्या-103 (अध्याय 14 नियम 408 सामान्य नियम व्यवहार)

यह पंजिका दिनांक 01.08.2020 से अनुरक्षित है। इस पंजिका में माह जनवरी, फरवरी, मार्च 2021 में निरीक्षण तिथि तक कुल 86 निरीक्षण प्रार्थना पत्रों की संख्या दर्शायी गई है तथा कुल 4300/- रु० न्यायशुल्क प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार पूछताछ प्रार्थना पत्रों की संख्या 750 दर्शायी गई है तथा कुल 41,550/- रुपये न्यायशुल्क प्राप्त हुआ है। इस प्रकार इस त्रैमास में निरीक्षण एवम् पूछताछ प्रार्थनापत्रों के माध्यम से न्यायशुल्क के रूप में कुल गु० 45,850/- रुपये राजस्व प्राप्त हुआ है।

सर्वकारी शासनादेश सामान्य नियम व्यवहार 1957 में संशोधन (सरकार के नाटीफिकेशन नं० 1926/vii न्याय-2-2018-93G-2018) दिनांकित 14.08.2018 के अनुक्रम में एव नगनीय जनपद न्यायाधीश गण्डा के आदेश दिनांक 01.09.2020 के अनुपालन में दिनांक 02.09.2020 से संशोधित न्यायशुल्क लिया जा रहा है।

4. दाखिला पंजिका

यह पंजिका प्रारम्भ सितम्बर 2009 से इस अनुभाग में निस्तारित पूछताछ प्रार्थना पत्रों की संख्या गार्ड फाइल के दाखिला से सम्बन्धित है। इसके अवलोकन से यह पाया गया कि माह फरवरी 2021 तक निस्तारित पूछताछ प्रार्थना पत्रों को अभिलेखागार में दाखिल किया जा चुका है फिर भी सम्बन्धित लिपिक को निर्देशित किया जाता है कि निस्तारित पूछताछ प्रार्थना पत्रों को नियत तिथि के अन्दर अभिलेखागार में दाखिल कर दिया करें।

श्री अशोक,
निर्देशक, कानून,
एवम् अभिलेखागार
ले अनुपालन
किर्पण शर्मा स्वयं
किर्पण शर्मा स्वयं
कीर्पण

त्रैमासिक निरीक्षण आख्या बावत प्रथम त्रैमास माह मार्च 2021 कार्यालय
निरीक्षण एवं पूछताछ अनुभाग, जनपद न्यायालय, गोण्डा।

द्वारा रत्नवीर सिंह, अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश कक्षा सं०-4, गोण्डा।

निरीक्षण आख्या

वर्तमान निरीक्षण आख्या की तिथि 09.03.2021 / 10.03.2021

- 1- मैंने दिनांक 09.03.2021, 10.03.2021 को निरीक्षण एवं पूछताछ अनुभाग, जनपद न्यायालय गोण्डा का त्रैमासिक निरीक्षण किया, जिसकी आख्या निम्नवत् है-

इस निरीक्षण के पूर्व इस अनुभाग का त्रैमासिक निरीक्षण मेरे द्वारा दिनांक 09.12.2020, 10.12.2020 को किया गया था, उक्त निरीक्षण आख्या में इंगित समस्त निर्देशों का अनुपालन करने के उपरान्त निरीक्षण आख्या माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय के अवलोकनार्थ प्रशासनिक कार्यालय में दिनांक 14.12.2020 को समय से प्रेषित की जा चुकी है। सम्बन्धित लिपिक को निर्देशित किया जाता है कि नवियं में भी इसीप्रकार त्रैमासिक निरीक्षण आख्यायें समय से प्रशासनिक कार्यालय में प्राप्त करवा जाना सुनिश्चित करें।

- 2- यह अनुभाग जनपद न्यायालय गोण्डा के प्रांगण में स्थित दस न्यायालय भवन के मूल पर स्थित है इस अनुभाग के अलावा उस कक्ष के अच्छे भाग में दीवानी प्रतिदिपि विभाग का कार्यालय स्थित है। निरीक्षण के समय कोई अधिवक्ता या उनसे सम्बन्धित अन्य कोई व्यक्ति कार्यालय में उपस्थित नहीं पाया गया।

- 3- इस अनुभाग में निम्नलिखित कर्मचारी नियुक्त हैं, जिसका नाम व प्रतिनियुक्त निम्नवत् है-

क्र०सं०	नाम व पदनाम कर्मचारी	प्रतिनियुक्ति की तिथि
1	श्री अमर लाल (कार्यालय लिपिक)	25.03.2019

निरीक्षण के समय श्री अमरलाल अपनी सीट पर बैठकर कार्य करते हुए पाये गये।

- 4- मैंने निरीक्षण के समय सम्बन्धित लिपिक द्वारा अनुरक्षित पंजिकाओं का अवलोकन किया, जो निम्नवत् है -

1. पंजिका प्रपत्र सं. 26 अध्याय 9 नियम 240 सामान्य नियम व्यवहार

यह पंजिका सादे कागज पर निर्धारित प्रारूप पर अनुरक्षित की गई है। पंजिका पर आमुख/शीर्षक नियमानुसार चस्पा किया गया है। यह पंजिका दिनांक 01.01.2020 से प्रारम्भ की गई है। आज दिनांक 09.03.2021 को 04 निरीक्षण प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए हैं। इस पंजिका के अवलोकन से पाया गया है कि त्रैमास मार्च 2021 में कुल 86 निरीक्षण प्रार्थना पत्र निरीक्षण तिथि तक प्रस्तुत हुए। सम्बन्धित लिपिक द्वारा बताया गया कि पत्रावलियों का निरीक्षण करते समय निरीक्षणकर्ता द्वारा पेंसिल का प्रयोग किया जा रहा है एवं प्रत्येक कार्य दिवस में प्रस्तुत होने वाले समस्त प्रार्थना पत्र को पंजिका में दर्ज करके सम्बन्धित न्यायालयों/कार्यालय एवं अभिलेखागार में उसी दिन प्राप्त व दिया जाता है, जिसके परिप्रेक्ष्य में सम्बन्धित न्यायालयों/कार्यालय एवं अभिलेखागार द्वारा प्रकरणों को छोड़कर शेष प्रकरणों में उसी दिन वॉछित अभिलेख निरीक्षण अनुभाग में प्रस्तुत कि जाते हैं। सम्बन्धित लिपिक को निर्देशित किया जाता है कि ऐसे मामलों में सम्बन्धित न्यायालयों/कार्यालयों/अभिलेखागार को वॉछित अभिलेख निरीक्षण हेतु उसी दिन प्राप्त नहीं क जाते हैं, उन मामलों से सम्बन्धित न्यायालयों/कार्यालय/अभिलेखागार को स्मृतिपत्र जारी कि जाना सुनिश्चित करें। अभिलेखों का निरीक्षण प्रत्येक कार्य दिवस में 3 से 4 बजे के बीच मान जनपद न्यायाधीश गोण्डा के निर्देशानुसार करवा जाना है।

मैत्रान पी,
निरीक्षणकर्ता लिपिक
09.03.2021 को किया गया है
प्रशासनिक कार्यालय
गोण्डा
लिपिक

प्रेमक,

रनवीर सिंह,
प्रमारी अधिकारी
केन्द्रीय निरीक्षण एवं पूछताछ अनुभाग,
जजी-गोण्डा।


सेवा में,

माननीय जनपद न्यायाधीश,
गोण्डा।

विषय: त्रैमासिक निरीक्षण आख्या में दिये गये निर्देशों का प्रस्तरवार अनुपालन।

क0सं0	पेज संख्या	प्रस्तर संख्या	
1	01	02	कार्यालय लिपिक द्वारा दिये गये निर्देशों का वास्तविक एवं भौतिक रूप से अनुपालन किया गया एवं किया जा रहा है।
2	01	04(1)	कार्यालय लिपिक द्वारा दिये गये निर्देशों का वास्तविक एवं भौतिक रूप से अनुपालन किया गया एवं किया जा रहा है।
3	02	02	कार्यालय लिपिक द्वारा दिये गये निर्देशों का वास्तविक एवं भौतिक रूप से अनुपालन किया गया एवं किया जा रहा है।
4	02	07 (बिन्दु सं0-4)	कार्यालय लिपिक द्वारा दिये गये निर्देशों का वास्तविक एवं भौतिक रूप से अनुपालन किया गया एवं किया जा रहा है।
5	03	03 (बिन्दु सं0-7)	कार्यालय लिपिक द्वारा दिये गये निर्देशों का वास्तविक एवं भौतिक रूप से अनुपालन किया गया एवं किया जा रहा है।
6	03	04 (बिन्दु सं0-8)	कार्यालय लिपिक द्वारा दिये गये निर्देशों का वास्तविक एवं भौतिक रूप से अनुपालन किया गया एवं किया जा रहा है।

प्रमाणित किया जाता है कि त्रैमासिक निरीक्षण में दिये गये समस्त निर्देशों का अनुपालन सम्बन्धित लिपिक द्वारा वास्तविक एवं भौतिक रूप से किया गया एवं किया जा रहा है।


(रनवीर सिंह)

प्रमारी अधिकारी / केन्द्रीय निरीक्षण एवं पूछताछ
अनुभाग, जनपद न्यायालय गोण्डा।

Seen
sd
District Judge
Gonda.
20.3.2021